Technology transfer deals

805. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published in the Financial Express, New Delhi Edition, dated the 15th May, 1995 under the caption "India tops list of technology transfer deals" facilitated by the United Nations' Asia and Pacific Centre for Technology Transfer (APCTT); and

(b) how many indian small and medium enterprises/firms since 1991-92 have availed themselves of the match making facilities till 1994-95 indicating the position area-wise particularly in Textiles, Iron-ore mining, food industry and medical technology out of the total number of matching partners?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTERS OFFICE AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, AND SPACE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) Yes, Sir.

(b) In the areas of textiles, food industry and medical technology, 694 Indian small and medium enterprises availed of the match making facilities provided by the Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT) for the period from 1991-92 to 1994-95. 94 of these were in the area of textiles, 425 in the area of food industry and 175 in the area of medical technology. No small and medium enterprise has availed of technology match making facilities in the area of Iron-Ore Mining since it is not a priority sector for APCTT.

The distribution of these companies during January 1994-April 1995 as between those making requests for foreign technology and those offering to export Indian technology, is as follows:—

Sector	Enterprises making requests for foreign technology	Enterprises offering proposals for export of Indian Technology
Textiles	79	0
Food Industry	382	6
Medical Technology	168	2

गुजरात में भूतपूर्व सैनिकों हेतु कल्याण-योजनाएं

*806. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :
श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय भूतपूर्व सैनिकों की जिलावार संख्या कितनी है

(ख) क्या सरकार वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए धनराशि प्रदान करने पर सहमत हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(घ) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :(क) से (घ) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार गुजरात में विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों के पास पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या इस प्रकार थी :

गुजरात में जिला सैनिक बोर्ड	पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
अहमदाबाद	3304
जामनगर	2613
सूरत	920
बड़ोदरा	1834
जोड़ :	8671

जिलावार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के वास्ते राज्य सरकारों के कल्याण कार्यक्रमों के लिए मुख्यत: धनराशि की व्यवस्था राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास संबंधी विशेष निधि की अर्जित आय से की जाती है। गुजरात में केन्द्र की मदद से गठित इस विशेष निधि में लगभग 105.48 लाख रुपए की संचित राशि है। गुजरात में राज्य कल्याण निधि को राष्ट्रीय रक्षा निधि से 1 लाख रुपए का अनुदान देकर पिछली बार 1975 में बढ़ाया गया था। इस संचित राशि के निवेश से लगभग 15 लाख रुपए की वार्षिक आय होती है गुजरात में भूतपूर्व सैनिकों की कल्याण योजनाओं के लिए पिछला वार्षिक व्यय लगभग 83 06.00 रुपए। चूंकि गुजरात में भूतपूर्व सैनिकों की कल्याण योजनाओं पर किया जाने वाला वार्षिक व्यय राज्य कल्याण निधि से होने वाली वार्षिक आय से कम है इसलिए राज्य को अतिरिक्त धनराशि दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक और जिला सैनिक बोर्डों की स्थापना लागत का 50 प्रतिशत व्यय वहन करता है। शेष 50 प्रतिशत लागत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड राज्यों में सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण की लागत के 50 प्रतिशत तक की धनराशि की व्यवस्था भी करता है। अहमदाबाद छावनी में भूतपूर्व सैनिक विश्राम गृह बनाए जाने का एक प्रस्ताव गुजरात सरकार के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर गुजरात सरकार की स्वीकृति मिलते ही केन्द्रीय सैनिक बोर्ड इसकी लागत का 50 प्रतिशत का अपना हिस्सा प्रदान कर देगा।

Amount provided to village panchayats for development work

*807. SHRI G.G. SWELL:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:-

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the amount of subsidy provided during the last three years directly to the Village Panchayats for developmental work by the Ministry of Rural Areas and Employment;

(b) the schemes on which these subsidies are going to be spent; and

(c) what is the mechanism to oversee the appropriate ways of spending these subsidies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT): (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) and (b) The Ministry of Rural Areas and